तारीख हुक्म 123/2023	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट सालरियाकलां पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम खारोलिया खेड़ा पटवार हल्का सुल्तानगढ़ भू.अ. नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमाबंदी में स्थित खाता संख्या 124 के आराजी खसरा सं. 1152, 964 कुल किता 02 रकबा 1.3026 है0 भूमि **दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा–भीलवाड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Neha Chhipa Date: 2024.01.18 12:15:38 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 123 / 2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– रामलाल पिता छोगा खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1– प्रभु पिता उगमा खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
2– रतन पिता लक्ष्मण खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
3– रामकरण पिता छोगा खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
4– हनुमान पिता धन्ना खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
5–6 उंकार, नंदा पिता भागीरथ खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
7– धूली पत्नि रामा खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
8– बदरी पिता गंगाराम खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
9– नानुड़ी पत्नि लादु खारोल निवासी खारोलिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
10– तहसीलदार बनेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– इकबाल मो. छीपा

निर्णय

दिनांक :– 31 / 05 / 2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खारोलिया खेड़ा पटवार हल्का सुल्तानगढ़ भू.अ.नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम खारोलिया [illegible] भू.अ.नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा मे स्थित स्थित खाता संख्या 124 के आराजी खसरा सं. 1152 [illegible] किता 02 रकबा 1.3026 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते [illegible] कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राज[illegible] प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारवन होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बनेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 1152, 964 कुल किता 02 रकबा 1.3026 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थिगण की आराजीयाज के मध्य सीमा–रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुंसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू–नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 1152, 964 कुल किता 02 रकबा 1.3026 है0 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा–चिन्ह रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायायल का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय सालरियाकलां में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(निरमा बिश्नोई)
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा–भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण

(बईजलास श्रीमती प्रीति सिंह पवांर आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 04 / 2019 मु.फौ.

अनवान

1 चुन्नीलाल पिता किशन सुवालका (कलाल) उम्र 70 वर्ष निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 मांगीदेवी पत्नी चुन्नीलाल सुवालका (कलाल) उम्र 70 वर्ष निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

----------प्रार्थीगण

बनाम

1 कमलेश पिता चुन्नीलाल सुवालका (कलाल) उम्र 70 वर्ष निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

---------अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(क) और (ख) के अधीन

उपस्थित :::– प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.07.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण आयु से कमशः 70 – 70 वर्ष के होकर काफी वृद्ध है तथा विपक्षी प्रार्थीगण के पुत्र है। प्रार्थीया मांगी देवी अपंग है, तथा प्रार्थी संख्या 01 की भी दुर्घटनाग्रस्त है, जिससे उनके पैरों में रॉड्स आदि लगी हुई है। विपक्षी जिस आवासीय मकान में निवास करता है, उस मकान पर प्रार्थीगण का हक आधिपत्य है। उक्त आवासीय मकान प्रार्थीगण को सरकार की ईन्द्रा आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण ने ही विपक्षी को पाल पोषकर बडा किया व शादी करवायी लेकिन विपक्षीगण अपनी अपनी पत्नि की सिखावट व बहको में होने से आये दिन प्रार्थीगण से आये दिन लडाई [illegible] गाली गलौच करते थे व प्रार्थीगण का भरण पोषण भी नही [illegible] सम्पति से बेदखल करने की धमकियां देते थे। माह जून 20[illegible] अपने ही हक अधिकार के आवासीय मकान से मारपीट कर जबरन बेद[illegible] कर दिया। विपक्षी प्रार्थीगण की विगत करीब 01 वर्ष से कोई सार सम्भाल आदि भी नही कर रहे है। विपक्षी को गांव के मौतबीर व्यक्तियों व समाज के मौतबीर व्यक्तियों ने भी काफी समझाया कि वो प्रार्थीगण की सेवा चाकरी एंव भरण पोषण करें लेकिन विपक्षी ने कोई ध्यान नही दिया व न ही कोई भरण पोषण राशि ही अदा की, जबकि विपक्षी का कर्तव्य था व

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बनेड़ा (भील.)

है कि वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा चाकरी करें व उन्हे आदर देवे व उनकी सार सम्भाल कर भरण पोषण की व्यवस्था करें जो कि यह विपक्षी के विधिक एंव नैतिक दायित्व है। विपक्षी होमगार्ड में नोकरी करते है, जिससे विपक्षी को 20,700/– मासिक तनख्वाह मिलती है, साथ ही ग्राम चमनपुरा में अटल सेवा केन्द्र चलाते है, जो कि एस.बी.आई बेंक शाखा से लिंक है, जंहा से विपक्षी को 10,000/– रूपये मासिक आय होती है तथा खेतीबाडी व अन्य साधनों से भी विपक्षी को 10,000/– रूपये मासिक आय अर्जित होती है। अर्थात विपक्षी कुल 40,700/– रूपये मासिक आय अर्जित करते है। यानि विपक्षी प्रार्थीगण का भरण पोषण करने अथवा राशि अदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। विपक्षी प्रार्थीगण की एकमात्र संतान है, इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी से 10,000/–रूपये प्रति माह बतौर भरण पोषण प्रदान कराया जावे। तथा प्रार्थीगण को उनके रहवासी मकान का कब्जा पुनः सिपुर्द कराया जावें, इस आशय की प्रार्थीगण को सुरक्षा प्रदान कराई जावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत 03.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में तलब किया गया। दिनांक 16.07.2019 को विहित समयावधी में विपक्षी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। सुनवाई दिनांक 23.07.2019 को मामले में एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध स... सबूत दस्तावेजात, का अध्ययन/परीक्षण किया व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

3. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थीगण विपक्षी से माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत अपना भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है यदि हां तो कितना ?**

4. प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षी प्रार्थीगण के जाईन्दा पुत्र है। इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण के जायन्दा पुत्र जीवित होने तथा पूर्णतया ...र नहीं होने के कारण प्रार्थीगण प्रथमतः विपक्षी से भरण पोषण ... है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों ... हुए विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थीगण का क्लेम प्रथमदृष्ट्या न्यायोचित प्रतीत होता ... उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण विपक्षी से भरण पोषण राशि प्राप्ति की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
... (भीम.)

—:: आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तिथि से विपक्षी से 3,000 तीन हजार रूपये प्रतिमाह मासिक बतौर भरण पोषण, प्राप्ति के अधिकारी है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वे प्रत्येक समाप्त होने वाले माह के पश्चात् आगामी माह की 10 तारीख तक प्रार्थीगण को प्रतिमाह भरण पोषण राशि अदा करेंगे, साथ ही प्रार्थीगण के हक स्वामित्व वाले आवासीय मकान का कब्जा पुनः प्रार्थीगण को सिपुर्द करेंगे, प्रार्थीगण की स्वीकृति के पश्चात ही विपक्षी प्रार्थीगण के साथ उक्त मकान में रह सकेगें। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारान परिवाद व्यय अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कोटड़ा (भील.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म 67/2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट उपरेड़ा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम उपरेड़ा पटवार हल्का उपरेड़ा भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमाबंदी में स्थित खाता संख्या 638 के आराजी खसरा सं. 2201, 2202/1, 2203/1, 2204, 2204/1 कुल किता 05 रकबा 1.4162 है0 भूमि **दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **भू अभिलेख अधिकारी एवं** **पदेन उपखण्ड अधिकारी** **बनेड़ा–भीलवाड़ा** Signature Not Verified Digitally signed by Neha Chhipa Date: 2024.01.18 12:15:38 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 67 / 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– हजारी पिता भैरू रैगर निवासी उपरेड़ा तहसील बनेड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1– मदन पिता काना चमार निवासी उपरेड़ा तहसील बनेड़ा।

2– रामपाल पिता भैरू चमार निवासी उपरेड़ा तहसील बनेड़ा।

3– नानू पिता छोगा तेली निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा।

4– भोजा पिता छोगा तेली निवासी मेघरस तहसील बनेड़ा।

5– तहसीलदार बनेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– अरूण चन्द्र देराश्री

निर्णय

दिनांक :– 01 / 05 / 2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उपरेड़ा पटवार हल्का उपरेड़ा भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। उपरेड़ा पटवार हल्का उपरेड़ा भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता संख्या 638 के आराजी खसरा सं. 2201, 2202 / 1, 2203 / 1, 2204, 2204 / 1 कुल किता 05 रकबा 1.4162 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का रा[illegible]लेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी [illegible] जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र [illegible] अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारवन होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 2201, 2202/1, 2203/1, 2204, 2204/1 कुल किता 05 रकबा 1.4162 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थिगण की आराजीयाज के मध्य सीमा–रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुंसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू–नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजी खरारा सं. 2201, 2202/1, 2203/1, 2204, 2204/1 कुल किता 05 रकबा 1.4162 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा–चिन्ह रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायायल का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय उपरेड़ा में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(निरमा बिश्नोई)
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा–भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested